सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

महत्वपूर्ण तथ्य कथन

एलीमेंट/महत्वपूर्ण तथ्य	टिप्पणियां/विवरण
शामिल होने का शुल्क	प्राइमरी और ऐड-ऑन कार्डधारक के लिए शून्य
सदस्यता शुल्क (वार्षिक/मासिक)	₹. 50-5000 (एमआईटीसी में कार्ड प्रकार के अनुसार); ऐड-ऑन कार्ड के लिए शून्य
नकद अग्रिम शुल्क	नकद राशि का 2.5% (न्यूनतम ₹. 500)
सेवा शुल्क	सरकार द्वारा निर्धारित जीएसटी दर (18% जैसा लागू हो)
परिक्रामी क्रेडिट और नकद अग्रिम, दोनों के लिए वित्त प्रभार	एपीआर अधिकतम 3.99% प्रति माह (47.88% प्रति वर्ष)
विलंब भुगतान शुल्क	ग्राहक की कुल बकाया राशि के आधार पर विलंब भुगतान शुल्क ₹5 से ₹1300 तक लिया जाता है
क्रेडिट सीमा	वेलकम लेटर और मासिक स्टेटमेंट में दिया गया
उपलब्ध क्रेडिट सीमा	मासिक स्टेटमेंट में दिया गया
नकद निकासी सीमा	मासिक स्टेटमेंट में दिया गया
बिलिंग स्टेटमेंट-आवधिकता और भेजने का माध्यम	भौतिक/ई-स्टेटमेंट मासिक रूप से भेजे जाते हैं (चुनी गई प्राथमिकता के अनुसार मोड)

भुगतान योग्य न्यूनतम राशि (न्यूनतम देय राशि)	कुल जीएसटी + चालू माह की ईएमआई डेबिट + शुल्क/प्रभार का 100% + [अधिकतम (5% (खुदरा खर्च, नकद अग्रिम, ब्याज) या ₹200)] + पहले से भुगतान न किया गया एमएडी (अगर कोई हो)*
भुगतान की विधि	स्थायी निर्देश (एनएसीएच) द्वारा आवधिक भुगतान या एनईएफटी/चेक/माईकार्डऐप /ऑनलाइन द्वारा एकमुश्त भुगतान
बिलिंग के विवाद का समाधान	कार्डधारक स्टेटमेंट जारी होने के 30 दिनों में वेबसाइट पर उपलब्ध हस्ताक्षरित विवाद फॉर्म आरबीएल बैंक के पास ईमेल कर सकता है या डाक द्वारा भेज सकता है (https://rblbank.com/download-forms/credit-cards)
कार्ड जारीकर्ता का पूरा डाक पता	कार्ड सेवा, आरबीएल बैंक लिमिटेड, यूनिट 306-311, तीसरी मंजिल, सोहना रोड, सेक्टर - 48, गुड़गांव, हरियाणा- 122018
ग्राहक सेवा का संपर्क विवरण	टोल फ्री नंबर: 022-6232 7777 हमें cardservices@rblbank.com पर ईमेल करें बजाज फिनसर्व आरबीएल बैंक सुपरकार्ड के लिए टोल फ्री नंबर: 022-7119 0900 हमें supercardservice@rblbank.com पर ईमेल करें

शिकायत निवारण अधिकारी का संपर्क विवरण	श्री विकास निगम- 022-71432700 पर कॉल करें या principalnodalofficer@rblbank.com पर ईमेल करें।

*प्लैटिनम एडवांटेज सुपरकार्ड को छोड़कर सभी कार्ड के लिए, जहां यह 20% है

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें **("एमआईटीसी")** और यहां दी गई सभी जानकारी आरबीएल बैंक लिमिटेड **("आरबीएल बैंक")** द्वारा जारी किए गए सभी क्रेडिट कार्ड पर लागू होती हैं और उन्हें आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड सदस्य अनुबंध और उत्पाद से जुड़े नियमों और शर्तों के संयोजन में पढ़ा और समझा जाना चाहिए (जहां लागू हो) । एमआईटीसी को बैंक के स्व-विवेक पर और समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार बदला जा सकता है ।

(A) शुल्क और प्रभार

(i) कार्ड धारक द्वारा देय वार्षिक शुल्क और पूरक कार्ड शुल्क

क्रेडिट कार्ड प्रकार	**वार्षिक शुल्क (पहला वर्ष)**	**वार्षिक शुल्क (दुसरे वर्ष से)**
इनसिगनिया	शून्य	शून्य
आइकॉन	रू. 5000	रू. 5000
वर्ल्ड सफारी	रू. 3,000	रू. 3,000
मनीटैप ब्लैक	रू. 3,000	रू. 3,000
ब्लॉकबस्टर	रू. 3,000	रू. 3,000
प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस	रू. 2,500	रू. 2,500
प्लैटिनम मैक्सिमा	रू. 2,000	रू. 2,000
प्लेटिनम डिलाइट	रू. 1,000	रू. 1000 (रु 2 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)
पॉपकॉर्न	रू. 1,000	रू. 1,000
मूवी और अन्य	रू. 1,000	रू. 1,000 (रु 1.5 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)

क्रेडिट कार्ड प्रकार	वार्षिक शुल्क (पहला वर्ष)	वार्षिक शुल्क (दुसरे वर्ष से)
टाइटेनियम डिलाइट	रू. 750	रू. 750 (रु 1.5 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)
मोकैश	रू. 500	रू. 500 (रु 1 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)
शॉपराइट	रू. 500	रू. 500 (रु 1.5 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)
प्ले	रू. 500	रू. 500 (रु 1.5 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)
वीकार्ड	शून्य	रू. 500 (रु 1 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)
पैसाबाजार डुएट प्लस कार्ड	रू. 1499	रू. 1499 (रु 4 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)
01 सितंबर, 2022 से पहले जारी किया गया पैसाबाजार डुएट (जिसे पहले"पैसा ऑन डिमांड" कहा जाता था)	रू. 500	रू. 500
01 सितंबर, 2022 के बाद जारी किया गया पैसाबाजार डुएट (जिसे पहले "पैसा ऑन डिमांड" कहा जाता था)	शून्य	शून्य
फन+	रू. 499	रू. 499 (रु 1.5 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)
मनीटैप	रू. 499	रू. 499 (रु 2 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)

लेजीपे	शून्य	शून्य
बैंकबाजार सेवमैक्स प्रो	1499	1499
बैंकबाजार सेवमैक्स	शून्य	शून्य
यूनीक (कस्टमाइज़ करने योग्य)	कस्टम शुल्क	कस्टम शुल्क
कुकीज (10 मई, 2021 से पहले जारी किए गए कार्ड के लिए)	रू. 500	रू. 500
पार्क+	रू. 999	रू. 999
रिंग	शून्य	रू. 499 (रु 1.5 लाख या इससे अधिक के वार्षिक खर्च पर छूट दी जाती है)
आईग्लोब	रू. 3000	रू. 3000
प्लैटिनम चॉइस सुपरकार्ड	रू. 499	रू. 499
प्लैटिनम क्लासिक सुपरकार्ड	रू. 499	रू. 499
प्लैटिनम एडवांटेज सुपरकार्ड	रू. 499	रू. 499
प्लैटिनम शॉपस्मार्ट सुपरकार्ड	रू. 499	रू. 499
प्लैटिनम शॉपडेली सुपरकार्ड	रू. 499	रू. 499
प्लैटिनम प्लस सुपरकार्ड	रू. 999	रू. 999
प्लैटिनम बोनस सुपरकार्ड	रू. 999	रू.. 999
प्लैटिनम शॉपगेन सुपरकार्ड	रू. 1499	रू. 1499
प्लैटिनम ट्रैवलईज़ी सुपरकार्ड	रू. 999	रू. 999

प्लैटिनम प्राइम सुपरकार्ड	रू. 999	रू. 999
प्लैटिनम मैक्स सुपरकार्ड	रू. 999	रू. 999
प्लैटिनम एज सुपरकार्ड	रू. 1999	रू. 1999
बिंज सुपरकार्ड	रू. 999	रू. 999
प्लैटिनम लाइफ़ईज़ी सुपरकार्ड	रू. 1999	रू. 1999
वर्ल्ड प्राइम सुपरकार्ड	रू. 2999	रू. 2999
वर्ल्ड मैक्स सुपरकार्ड	रू. 2999	रू. 2999
वर्ल्ड प्लस सुपरकार्ड	रू. 4999	रू. 4999
ईजीसेवर सुपरकार्ड	रू. 499	रू. 499
माईफर्स्ट सुपरकार्ड	रू. 999	रू. 999
	मासिक शुल्क (पहला महीना)	**मासिक शुल्क (दुसरे महीने से)**
कुकीज (10 मई, 2021 के बाद जारी किए गए कार्ड के लिए)	रू. 100	रू. 100 (पिछले महीने में रु 5,000 या इससे अधिक के खर्च पर छूट दी जाती है)
मासिक उपहार (01 नवंबर, 2021 से पहले जारी किए गए कार्ड के लिए)	रू. 50	रू. 50 (पिछले महीने में रु 3,000 या इससे अधिक के खर्च पर छूट दी जाती है)
मासिक उपहार (01 नवंबर, 2021 से पहले जारी किए गए कार्ड के लिए)	रू. 75	रू. 75 (पिछले महीने में रु 3,000 या इससे अधिक के खर्च पर छूट दी जाती है)

मासिक उपहार (07 दिसंबर, 2023 से)**	रू. 100	रू. 100 (पिछले महीने में रु 5,000 या इससे अधिक के खर्च पर छूट दी जाती है)

***पहले** क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में **वार्षिक शुल्क** (पहला वर्ष) लिया जाएगा।

**संशोधित शुल्क सभी मौजूदा कार्डधारकों पर लागू होगा।

(ii) आरबीएल बैंक द्वारा जारी कई क्रेडिट कार्ड पर लागू वार्षिक शुल्क हर कार्ड धारक के लिए और हर क्रेडिट कार्ड के विशेष विवरण के लिए अलग-अलग हो सकता है। लागू शुल्क की जानकारी कार्ड धारक को क्रेडिट कार्ड का आवेदन करने के समय और/या उक्त क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय दी जाएगी। इसके अलावा, लागू होने के अनुसार इस तरह का शुल्क सीधे कार्ड धारक के खाते से ली जाती है और उसी अनुसार ई स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। कृपया खर्च से जुड़े रिवर्सल सदस्यता शुल्क (अगर कोई हो) की विस्तृत शर्तों के लिए उत्पाद के नियम और शर्तें (जहां भी लागू हो) देखें।

अन्य शुल्क और प्रभार

ऐड-ऑन कार्ड शुल्क	शून्य
कार्ड प्रतिस्थापन (खोना/चोरी होना / पुनः जारी करना/कोई अन्य प्रतिस्थापन)	शून्य, जब तक कि किसी तरह से नहीं बताया गया हो
डुप्लीकेट स्टेटमेंट शुल्क	शून्य
विदेशी मुद्रा लेनदेन/गतिशील और स्थैतिक रूपांतरण लेनदेन - मार्कअप शुल्क*	अधिकतम 3.5%
	इन्सिग्निया क्रेडिट कार्ड पर 1.5%
	वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड पर 0%

आरबीएल बैंक शाखाओं में नकद भुगतान	आरबीएल बैंक शाखा में किए गए लेनदेन पर रु. 100/- नकद जमा शुल्क
रेलवे टिकट के खरीदने/रद्द करने पर अधिभार	आईआरसीटीसी सेवा शुल्क + पेमेंट गेटवे लेनदेन शुल्क (टिकट राशि का अधिकतम 1.8% + आईआरसीटीसी सेवा शुल्क)। विवरण के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट देखें
ईंधन खरीदने के लिए भारत में पेट्रोल पंपों पर किए गए लेनदेन के लिए ईंधन लेनदेन शुल्क	ईंधन लेनदेन मूल्य पर 1% अधिभार या रु. 10/- जो भी अधिक हो (व्यापारी के बैंक के आधार पर)
ओवरलिमिट शुल्क / जुर्माना** (अगर बकाया राशि क्रेडिट सीमा से अधिक हो, तो लिया जाता है	ओवरलिमिट राशि का 2.5%, न्यूनतम 500 रुपये के अधीन (09 अक्टूबर, 2023 से)
माल और सेवा कर	सरकार के मानदंडों के अनुसार 18% मानक दर से प्रभार लिया जाएगा
रिवॉर्ड रिडेम्पशन शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड पर अर्जित आपके उपलब्ध रिवॉर्ड पॉइंट के रिडेम्प्शन पर 99 रुपये + जीएसटी का रिवॉर्ड रिडेम्पशन शुल्क लागू होगा। (इन्सिग्निया कार्ड, इन्सिग्निया प्राइम कार्ड के लिए रिडेम्पशन शुल्क लागू नहीं है)
चेक वापसी / अस्वीकृति शुल्क ऑटो डेबिट रिवर्सल-बैंक खाता में फंड नहीं होने पर	रू. 500 (बजाज फिनसर्व आरबीएल बैंक सुपरकार्ड के लिए)
व्यापारी ईएमआई प्रसंस्करण शुल्क***	व्यापारी के आउटलेट/वेबसाइट/ऐप पर लेनदेन के समय किए गए सभी ईएमआई रूपांतरणों पर 199 रुपये+जीएसटी

किराये के लेनदेन पर शुल्क#	लेनदेन राशि पर 1% शुल्क किसी भी लागू व्यापारी पर किए गए सभी किराये के लेनदेन पर लिया जाएगा (01 फरवरी, 2023 से)

#इससे यह स्पष्ट होता है कि किराए के लेनदेन की पहचान मास्टरकार्ड/वीजा द्वारा आवंटित एमसीसी (व्यापारी श्रेणी कोड) पर आधारित है। किराये के लेनदेन पर शुल्क उन मर्चेंट आउटलेट/फ्रैंचाइज़ी पर खरीदारी के लिए लागू होगा जिन्होंने किराये के लिए निर्दिष्ट एमसीसी के तहत खुद को पंजीकृत किया है।

*09 अक्टूबर, 2023 से, विदेशी मुद्रा में किए गए सभी लेनदेन पर लागू मार्कअप शुल्क लगेगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर (या) उन व्यापारियों पर भारतीय मुद्रा में किए गए सभी लेनदेन पर भी मार्कअप शुल्क लिया जाएगा जो भारत में स्थित हैं लेकिन विदेशों में पंजीकृत हैं।

विदेश में पंजीकृत व्यापारी के प्रतिष्ठानों में होने वाले लेनदेन पर सीमा पार शुल्क लगता है, भले ही व्यापारी भारत में स्थित हो।

**अगर ओवरलिमिट लेनदेन के कारण बकाया राशि क्रेडिट सीमा से अधिक हो जाती है और ग्राहक ने ओवरलिमिट सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमति दी है, तो ओवरलिमिट शुल्क लागू होगा। अगर बैंक शुल्क, प्रभार और ब्याज का भुगतान न करने के कारण बकाया राशि क्रेडिट सीमा से अधिक हो जाती है, तो ओवरलिमिट जुर्माना लागू होता है।

***व्यापारी ईएमआई प्रोसेसिंग शुल्क पर पूरी शर्तों के लिए, आरबीएल बैंक की वेबसाइट पर व्यापारी ईएमआई के नियमों और शर्तों को देखें।

सभी आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए खुदरा लेनदेन के ईएमआई रूपांतरण पर बेस रिवार्ड पॉइंट अर्जित नहीं किए जाएंगे। इसमें खुदरा लेनदेन को ईएमआई (स्प्लिट-एन-पे) में परिवर्तित करना और पीओएस/वेब/मोबाइल ऐप पर लेनदेन के समय बनाई गई ईएमआई के रूपांतरण के अनुरोध शामिल हैं।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी: अगर कोई लेनदेन भारतीय रुपये के अलावा किसी अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो उस लेनदेन को भारतीय रुपये में रूपांतरित जाएगा।. रूपांतरण उस दिन होगा जब आरबीएल बैंक के साथ लेनदेन का निपटान हो जाएगा, यह वहीं दिन नहीं हो सकता जब लेनदेन हुआ था। अगर लेनदेन यूएस डॉलर के अलावा अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो रूपांतरण यूएस डॉलर के माध्यम से किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले प्रभारित राशि को यूएस डॉलर में रूपांतरित किया जाएगा और फिर यूएस डॉलर की राशि को निपटान तारीख को मास्टरकार्ड के लिए तय रूपांतरण दर पर भारतीय रुपये में रूपांतरित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें: विदेशी मुद्रा लेनदेन के सभी रूपांतरण में इस तरह के लेनदेन पर मुद्रा रूपांतरण कारक मूल्यांकन (वर्तमान में 3.50%, इनसिगनिया क्रेडिट कार्ड के लिए 1.5%, वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड के लिए 0%) ऐसे लेनदेन पर किया जाएगा। 09 अक्टूबर 2023 से, किसी अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर या उन व्यापारियों पर भारतीय मुद्रा में किए गए सभी लेनदेन पर भी मार्कअप शुल्क लिया जाएगा जो भारत में स्थित हैं लेकिन विदेशों में पंजीकृत हैं। मार्कअप शुल्क हर उत्पाद के लिए विदेशी मुद्रा शुल्क के समान होगा।

(iii) नकद अग्रिम शुल्क

नकद निकासी प्रभार	निकाली गई नकद राशि का 2.5% (न्यूनतम 500/- रुपये)

कार्ड धारक उक्त एटीएम में क्रेडिट कार्ड की संगतता के अनुसार भारत और/या विदेशों के किसी भी एटीएम से नकदी निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकता है।

ऊपर बताए गए नकद निकासी प्रभार/लेनदेन शुल्क ऐसी सभी निकासी पर लगाया जाएगा और कार्ड धारक को अगले/आगामी स्टेटमेंट में बिल किया जाएगा। लेनदेन शुल्क को आरबीएल बैंक स्व-विवेक के आधार पर बदल सकता है। इसके अलावा, सभी नकद निकासी लेनदेन पर निकासी की तारीख से पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक वित्त प्रभार (जैसा कि नीचे बताया गया है) भी लगेगा।

(iv) बिना ब्याज वाली अवधि

बिना ब्याज वाली क्रेडिट अवधि क्रेडिट कार्ड पर लागू योजना के अनुसार 20 से 50 दिनों के बीच हो सकती है। हालांकि, अगर पिछले महीने की शेष राशि का भुगतान पूरी तरह से नहीं किया गया है या अगर कार्ड धारक ने एटीएम से नकदी निकाली है, तो ऐसी क्रेडिट अवधि लागू नहीं होती है।

उदाहरण

अगर ग्राहक 11/01/2019 को खुदरा लेनदेन करता है और उनके आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट तिथि 20/01/2019 है और भुगतान की देय तिथि 09/02/2019 है। लेनदेन तिथि से भुगतान की देय तिथि तक की 30 दिनों की अवधि को ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि कहा जाता है।

(v) परिक्रामी क्रेडिट और नकद अग्रिम, दोनों के लिए वित्त प्रभार

जब कोई कार्डधारक भुगतान की देय तिथि तक पिछले बिलिंग स्टेटमेंट के अनुसार कुल देय राशि का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे सभी लेनदेन पर मासिक प्रतिशत दर के हिसाब से वित्त प्रभार तब तक देय होगा जब तक बकाया देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता। इन वित्त शुल्कों में ये शामिल हैं- (i) आस्थगित वित्त शुल्क जो पहले चक्र में किए गए लेनदेन पर लगाए जाते हैं और इस ब्याज गणना की अवधि लेनदेन तिथि से

लेकर ब्याज मुक्त अवधि में पहले स्टेटमेंट की बिलिंग तिथि तक होगी। (ii) वित्त शुल्क प्रारंभिक शेष राशि और वर्तमान स्टेटमेंट चक्र के नए लेनदेन पर लगाया जाता है। अगले स्टेटमेंट से, इन शुल्कों को केवल वित्त शुल्क के अंतर्गत समेकित किया जाएगा। एटीएम से नकद निकासी पर, नकद निकासी की तारीख से लेकर पूर्ण भुगतान की तारीख तक के लिए भी वित्त प्रभार देय होगा।

लागू वित्त प्रभार

सुरक्षित क्रेडिट कार्ड	आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए- 2.5% प्रति माह या 30% प्रति वर्ष
	बजाज फिनसर्व आरबीएल बैंक सुपरकार्ड के लिए- 3.33% प्रति माह या 40% प्रति वर्ष
इनसिगनिया क्रेडिट कार्ड	3.4% प्रति माह या 40.8% प्रति वर्ष
अन्य सभी क्रेडिट कार्ड	अधिकतम 3.99% प्रति माह या 47.88% प्रति वर्ष*
नकद ऋण खाते के लिए डायल	3.35% प्रति माह या 40.20% प्रति वर्ष

अन्य सभी क्रेडिट कार्डों पर परिवर्तनीय वित्त शुल्क

श्रेणी A	3.35% प्रति माह या 40.20% प्रति वर्ष
श्रेणी B	3.45% प्रति माह या 41.40% प्रति वर्ष

श्रेणी C	3.65% प्रति माह या 43.80% प्रति वर्ष
श्रेणी D	3.85% प्रति माह या 46.20% प्रति वर्ष
श्रेणी E	3.99% प्रति माह या 47.88% प्रति वर्ष

15 मई, 2023 से, निम्नलिखित वित्त शुल्क अन्य सभी क्रेडिट कार्डों पर लागू होंगे

श्रेणी A	3.30% प्रति माह या 39.60% प्रति वर्ष
श्रेणी B	3.75% प्रति माह या 45% प्रति वर्ष
श्रेणी C	3.99% प्रति माह या 47.88% प्रति वर्ष

*अधिकतम ब्याज दर 3.99% प्रति माह या 47.88% प्रति वर्ष है।आरबीएल बैंक, कार्ड धारक के ऐक क्रेडिट स्कोर, खर्च, सीमित उपयोग और भुगतान पैटर्न के आधार पर क्रेडिट कार्ड पर लागू वित्त प्रभारों में अपने स्व-विवेक से बदलाव कर सकता है, संशोधित कर सकता है और बदल सकता है। लागू वित्त प्रभारों की दर में किसी भी बदलाव की जानकारी कार्ड धारक को उनके बिलिंग स्टेटमेंट में मिलेगी। अगर कार्ड धारक अपने क्रेडिट कार्ड पर लागू ब्याज दर के बारे में जानकारी पाना चाहता है, तो कार्ड धारक को हमारी ग्राहक सेवा (बाद के अनुभागों में दिए गए विवरण) के जरिए हमसे संपर्क करना होगा।

अगर भुगतान की देय तारीख तक कुल देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वित्त शुल्क लिया जाएगा। भुगतान न की गई किसी भी ईएमआई सहित कुल देय राशि पर और सभी नए लेनदेन (लेनदेन की तारीख से) पर तब तक ब्याज लगाया जाएगा जब तक पिछली बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता।

ब्याज की गणना प्रत्येक दिन के अंत में दैनिक आधार पर और कार्ड धारक की वर्तमान बकाया राशि के आधार पर की जाती है।

ब्याज प्रभार की गणना का उदाहरण:

अगर भुगतान की देय तारीख तक बकाया राशि का आंशिक भुगतान किया जाता है। स्टेटमेंट की तारीख हर महीने की 2 तारीख होती है, ब्याज की गणना अगले पेज पर दिखाया जाएगा।

लेनदेन

तारीख	**लेनदेन**	**राशि**
12-12-2018	किराना सामान की खरीद	रु 6,000/-
26-12-2018	कपड़े की खरीद	रु 4,000/-
02-01-2019	सदस्यता शुल्क	रु 499/-
02-01-2019	जीएसटी	रु 89.82/-
02-01-2019	स्टेटमेंट की तारीख	कुल देय राशि = ₹ 10,588.82 न्यूनतम देय राशि = ₹ 1,088.82
10-01-2019	होटल में लेनदेन	रु 4,000/-
15-01-2019	मोबाइल बिल भुगतान	रु 2,000/-
22-01-2019	भुगतान क्रेडिट	रु 1,088.82/-
02-02-2019	स्टेटमेंट की तारीख	कुल देय राशि = ₹ 16,420.90 न्यूनतम देय राशि = ₹ 956.63

देय राशि पर ब्याज नीचे बताए अनुसार लिया जाएगा: वार्षिक ब्याज दर 47.88%, यानी 3.99% प्रति माह है। इसलिए दैनिक ब्याज = बकाया राशि * (3.99%*12 महीने/ 365 दिन)।

ब्याज की गणना:

लेनदेन की राशि	अवधि	दिनों की संख्या	राशि
रु. 6,000/-	12 दिसंबर, 2018 से 01 जनवरी, 2019	21	165.28
रु. 4,000/-	26 दिसंबर, 2018 से 01 जनवरी, 2019	7	36.73
रु. 6,000/-	02 जनवरी, 2019 से 21 जनवरी, 2019	20	157.41
रु. 4,000/-	02 जनवरी, 2019 से 21 जनवरी, 2019	20	104.94
रु. 4,000/-	10 जनवरी, 2019 से 02 फरवरी, 2019	24	125.93
रु. 2,000/-	15 जनवरी, 2019 से 02 फरवरी, 2019	19	49.85
1088.82/- के भुगतान को समायोजित करने के बाद 9500/- रुपये (588.82 रुपये का उपयोग जीएसटी और सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए किया जाएगा)	22 जनवरी, 2019 से 02 फरवरी, 2019	12	149.54
		आस्थगित वित्त प्रभार	202.01
		वित्त प्रभार	587.68
		जीएसटी	142.15
		कुल वित्त शुल्क + जीएसटी	931.84

इस प्रकार, लिया गया कुल ब्याज होगा: रु 931.84/- (लागू करों के साथ)

*ब्याज राशि में लागू दर पर जीएसटी लगाया जाएगा।

भुगतान न किए गए शुल्क/उगाही/करों को ब्याज की वसूली/चक्रवृद्धि के लिए पूंजीकृत नहीं किया जाएगा।

(vi) विलंब भुगतान प्रभार

विलंब भुगतान शुल्क	**कुल देय राशि (रुपये)**	**विलंब भुगतान शुल्क (रुपये)**
	100 रुपये तक	0
	100 रुपये से अधिक	कुल देय राशि का 12.5% अधिकतम 1300/- रुपये

*15 मई, 2023 से निम्नलिखित विलंब भुगतान शुल्क संरचना लागू होगी।

विलंब भुगतान शुल्क (रुपये)	
कुल बकाया राशि का 12.5%	
न्यूनतम 5/- रुपये	अधिकतम 1300/- रुपये

विलंब भुगतान शुल्क ("एलपीएफ") तब लागू होता है जब देय तारीख को कार्ड धारक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता या न्यूनतम देय राशि ("एमएडी") से कम भुगतान किया जाता है।

(i) उदाहरण:
एलपीसी आकलन तिथि को, अगर कुल भुगतान (भुगतान रिवर्सल सहित, अगर कोई हो) न्यूनतम देय राशि से कम है, तो बकाया राशि पर विलंब भुगतान शुल्क लगाया जाता है। {बकाया राशि = स्टेटमेंट की कुल देय राशि - कुल भुगतान} बकाया राशि की गणना के दौरान विलंब शुल्क के आकलन से पहले किए गए सभी भुगतानों पर विचार किया जाएगा।

उदाहरण के लिए

एलपीसी चित्रण - कुल भुगतान < न्यूनतम देय		
तारीख	**ईवेन्ट्स**	**राशि (रुपये)**
1 मई, 2022	स्टेटमेंट जनरेट किया गया	-
	कुल देय राशि	9800.00
	न्यूनतम देय	490.00

18 मई, 2022	किया गया भुगतान - 1	300.00
19 मई, 2022	किया गया भुगतान - 2	200.00
19 मई, 2022	भुगतान रिवर्सल	200.00
20 मई, 2022	**भुगतान की देय तारीख**	-
21 मई, 2022	किया गया भुगतान - 3	100.00
23 मई, 2022	एलपीसी केवल 9400 रुपये की बकाया राशि पर लगाया गया है	1,175.00 + 18% जीएसटी

(ii) कार्डधारक द्वारा प्राप्त बिक्री रिवर्सल या रिफंड से भी बकाया राशि बदल जाएगी। भुगतान देय तिथि (पीडीडी) तक प्राप्त सभी रिफंड को स्टेटमेंट टीएडी से कम किया जाएगा। पीडीडी के बाद प्राप्त रिवर्सल/रिफंड से बकाया राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उदाहरण के लिए

कुल भुगतान < न्यूनतम देय देय तिथि से पहले रिफंड और रिवर्सल		
तारीख	**ईवेन्ट्स**	**राशि (रुपये)**
1 मई, 2022	स्टेटमेंट जनरेट किया गया	-
	कुल देय राशि	9800.00
	कुल देय राशि	9800.00
	न्यूनतम देय	490.00
18 मई, 2022	किया गया भुगतान	400.00
19 मई, 2022	बिक्री रिफंड - 1	200.00
20 मई, 2022	**भुगतान की देय तारीख**	-
21 मई, 2022	बिक्री रिफंड - 2	300.00
23 मई, 2022	एलपीसी केवल 9200 रुपये की बकाया राशि पर लगाया गया है	1,150.00 + 18% जीएसटी

(iii) पिछले चक्र के लेनदेन के लिए उठाए गए और वर्तमान चक्र में ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए विवाद से, विलंब शुल्क के आकलन के लिए विचार की जाने वाली बकाया राशि कम हो जाएगी। वर्तमान चक्र लेनदेन के लिए उठाए गए और ग्राहकों के पक्ष में निपटारा नहीं किए गए विवादों से बकाया राशि (जिस पर विलंब शुल्क का आकलन किया जाता है) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) ईएमआई रूपांतरण और रद्दीकरण से भी बकाया राशि पर असर पड़ेगा। पिछले चक्र के लेनदेन के ईएमआई रूपांतरण से बकाया राशि कम हो जाएगी, जबकि पिछले चक्र के लेनदेन के ईएमआई रद्द होने से बकाया राशि बढ़ जाएगी, जिस पर विलंब शुल्क का आकलन किया जाता है।

विलंब भुगतान शुल्क केवल तभी लगाया जाएगा जब क्रेडिट कार्ड खाता तीन दिनों से अधिक समय तक 'पहले से देय' रहेगा। हालाँकि, 'पहले से देय के दिन' की संख्या और विलंब भुगतान शुल्क की गणना भुगतान की देय तारीख से की जाएगी।

(vii) ओवरलिमिट शुल्क/जुर्माना

बैंक कुछ लेनदेन को मंजूरी दे सकता है जो आंतरिक जोखिम नीति और स्पष्ट ग्राहक सहमति के अधीन निर्दिष्ट क्रेडिट सीमा से अधिक हो सकते हैं। अगर ऐसे ओवरलिमिट लेनदेन के कारण बकाया राशि क्रेडिट सीमा से अधिक हो जाती है, तो 09 अक्टूबर, 2023 से ओवरलिमिट राशि का 2.5% या 500 रुपये, जो भी अधिक हो, का ओवरलिमिट शुल्क लगाया जाएगा।

अगर शुल्क, प्रभार या ब्याज का भुगतान न करने के कारण कार्ड खाता ओवरलिमिट हो जाता है, तो ओवरलिमिट जुर्माना लगाया जाएगा।

ओवरलिमिट जुर्माना (अगर क्रेडिट सीमा से अधिक बकाया हो, तो लगाया जाएगा)	ओवरलिमिट राशि का 2.5%, न्यूनतम 500 रुपये के अधीन (09 अक्टूबर, 2023 से)

(B) निकासी सीमाएं

(i) क्रेडिट सीमा

क्रेडिट सीमा और नकद निकासी सीमाएं कार्ड की डिलीवरी के समय बताई गई अधिकतम निर्धारित सीमाएं हैं और इन्हें मासिक स्टेटमेंट में भी दिखाया जाता है, जो आपके कार्ड खातों पर उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। सभी लेनदेन, शुल्क और प्रभारों सहित आपका कुल बकाया इस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐड ऑन कार्ड धारक की सीमा भी इसी तरह की होती है। अगर कार्ड धारक ने कार्ड पर कुल क्रेडिट सीमा के भीतर कोई ऋण लिया है, तो बकाया ऋण राशि भी कुल क्रेडिट सीमा से काट ली जाएगी।

(ii) उपलब्ध क्रेडिट सीमा

किसी भी समय उपलब्ध क्रेडिट सीमा उस समय कार्ड पर निर्दिष्ट कुल क्रेडिट सीमा और उपयोग की गई सीमा के बीच का अंतर है। प्रत्येक कार्डधारक के लिए क्रेडिट और नकद सीमा अलग-अलग होगी और कार्डधारक को भेजे गए मासिक स्टेटमेंट में इसकी जानकारी दी जाएगी।

(iii) नकद निकासी सीमा

(a) बैंक अपने स्व-विवेक से आपकी क्रेडिट और नकद निकासी सीमा निर्धारित करेगा और कार्ड कैरियर में और मासिक स्टेटमेंट में इसकी जानकारी देगा। कार्ड खाते पर स्वीकृत क्रेडिट सीमा को बैंक की नीतियों के अनुसार समय-समय पर समीक्षा के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। आपके सभी कार्ड खातों में कुल क्रेडिट सीमा और उपलब्ध क्रेडिट सीमा को स्टेटमेंट में दिखाया जाता है और यह आपके सभी कार्ड खातों के साथ-साथ आपके सभी ऐड-ऑन खातों में उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। कार्ड की सीमा से अधिक किसी भी प्राधिकरण को न मानने के लिए बैंक बाध्य रहेगा।

(b) अगर आपका कार्ड रद्द कर दिया जाता है, तो क्रेडिट सीमा और कार्ड खाता समाप्त कर दिया जाएगा।

(c) अगर आप मासिक स्टेटमेंट के अनुसार देय राशि से अधिक का भुगतान करते हैं, तो आप क्रेडिट की

गई शेष राशि पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे और इसे बाद के मासिक स्टेटमेंट में देय राशि से समायोजित किया जाएगा।

(C) बिलिंग

(i) बिलिंग स्टेटमेंट

आरबीएल बैंक मासिक स्टेटमेंट को कार्ड धारक के पंजीकृत ईमेल पते या डाक पते पर भेजेगा जिसमें क्रेडिट किए गए भुगतानों के विवरण और अंतिम स्टेटमेंट की तारीख के बाद से कार्ड धारक के खाते में डेबिट किए गए लेनदेन की जानकारी होगी।

कार्ड धारक के संचार पते में कोई भी बदलाव होने पर, कार्ड धारक को सलाह दी जाती है कि वह तुरंत आरबीएल बैंक से संपर्क करके यह सुनिश्चित करें कि सभी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट नियमित रूप से समय पर प्राप्त होते हैं।

(ii) न्यूनतम देय राशि

न्यूनतम देय राशि या एमएडी वह न्यूनतम राशि है जिसका भुगतान आपको अपने कार्ड खाते को अच्छी क्रेडिट स्थिति में रखने के लिए करना होता है। एमएडी की गणना कुल जीएसटी + मौजूदा महीना ईएमआई डेबिट + 100% शुल्क/प्रभार + [अधिकतम {(खुदरा खर्च, नकद अग्रिम, ब्याज) का 5% या 200 रुपये}] + पहले से भुगतान न किया गया एमएडी (अगर कोई हो) के योग के रूप में की जाती है। प्लैटिनम एडवांटेज सुपरकार्ड को छोड़कर सभी कार्डों के लिए, जहां यह 20% है। अगर कार्ड धारक कुल देय भुगतान या एमएडी (किसी भी परिस्थिति में एमएडी से कम नहीं) का आंशिक भुगतान करता है, तो देय बकाया राशि को बाद के स्टेटमेंट में ले जाया जाएगा। इस पर पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक वित्त प्रभार लगेगा। कम से कम एमएडी के लिए पेममेंट नहीं मिलने की स्थिति मममें, अकाउंट को ब्यूरो के दोषी के तौर पर रिपोर्ट किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें, हर महीने केवल न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने से कार्ड धारक को बकाया राशि पर परिणामी ब्याज का भुगतान करना होना और इससे लंबी अवधि तक चुकौती भी बढ़ेगी।

उदाहरण: अगर कोई कार्ड धारक रु 5000/- खर्च करता है और हर महीने केवल न्यूनतम देय राशि का भुगतान करता है, तो इससे बकाया राशि पर परिणामी ब्याज भुगतान लगेगा और इसकी चुकौती अवधि 6 वर्ष से अधिक हो सकती है। इसलिए, नकदी प्रवाह की अनुमति होने पर, कार्ड धारक को केवल न्यूनतम देय राशि से अधिक का वास्तविक राशि का भुगतान करना चाहिए। आरबीएल बैंक अपने स्व-विवेक से किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्ड धारक के संबंध में पूर्ववर्ती खंडों में बताए अनुसार केवल एमएडी के भुगतान का विकल्प वापस ले सकता है। जब तक आरबीएल बैंक द्वारा सहमति न दी जाए, तब तक निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट राशि पर कार्ड सदस्य से प्राप्त कोई भी भुगतान (एनपीए खातों में रिकवरी सहित जो अपग्रेड की स्थितियों के लिए योग्य नहीं है):

(i) कर

(ii) ईएमआई

(iii) शुल्क और प्रभार

(iv) ब्याज प्रभार

(v) खुदरा खरीदारियों और नकद निकासी के लिए भुगतान;

यहां ऊपर बताई गई किसी भी बात के होने के बावजूद: (i) आरबीएल बैंक अपने स्व-विवेक से आरबीएल बैंक के कार्ड धारक को मिली अन्य सुविधाओं के संबंध में कार्ड धारक द्वारा देय किसी भी देय राशि के लिए ऐसे भुगतानों को विनियोजित कर सकता है; (ii) आरबीएल बैंक अपने स्व-विवेक पर विनियोजन के क्रम को संशोधित कर सकता है। इस तरह के विनियोजन के बाद किसी भी शेष अतिरिक्त राशि को उन राशियों के लिए विनियोजित किया जा सकता है जिन्हें आरबीएल बैंक द्वारा जनरेट किए जाने वाले ठीक अगले स्टेटमेंट में निर्दिष्ट किया जाना है।.

(iii) भुगतान की विधि

कार्ड खाते के लिए भुगतान नीचे दिए गए में से किसी भी विधि से किया जा सकता है:

(A) एकमुश्त भुगतान के माध्यम से:

भुगतान करने के सुविधाजनक तरीके

ऑनलाइन कार्ड भुगतान

- rblbank.com पर जाएं, 'लॉग इन' पर क्लिक करें और फिर 'क्रेडिट कार्ड' के नीचे 'ऑनलाइन कार्ड भुगतान (त्वरित बिल भुगतान)' पर क्लिक करें
  या
- त्वरित एक्सेस के लिए नीचे दिया गया क्यूआर कोड स्कैन करें:

एनईएफटी भुगतान

एनईएफटी ट्रांसफर करने के लिए प्राप्तकर्ता के रूप में अपना आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड जोड़ें।

प्राप्तकर्ता का नाम: कार्ड पर नाम
भुगतानकर्ता का खाता नंबर: क्रेडिट कार्ड नंबर

बैंक का नाम: आरबीएल बैंक
आईएफएससी कोड: RATNØCRCARD

शाखा का स्थान: एनओसी गोरेगांव, मुंबई

आरबीएल माईकार्ड मोबाइल ऐप का उपयोग करके

आरबीएल माईकार्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से भुगतान करें।

डाउनलोड करने के लिए 5607011 पर MyCard एसएमएस करें।

चेक का उपयोग करके

- आरबीएल बैंक कार्ड <16 अंकों वाला कार्ड नंबर > के पक्ष में अपना चेक अपनी निकटतम आरबीएल बैंक शाखा में जमा करें
- वैकल्पिक रूप से, अपने चेक को यहां कुरियर करें: आरबीएल बैंक लिमिटेड, यूनिट: 306 – 311, तीसरी मंजिल, जेएमडी मेगापोलिस, सोहना रोड, सेक्टर - 48, गुड़गांव - 122 018, हरियाणा।

अपने कार्ड भुगतान करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए rblbank.com पर जाएं।

(B) आवधिक भुगतान के माध्यम से:

कार्ड धारक अपने क्रेडिट कार्ड पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (एसआई)/नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (एनएसीएच) का विकल्प चुन सकते हैं। एसआई/एनएसीएच कुल देय राशि (टीएडी) या न्यूनतम देय राशि (एमएडी) के लिए हो सकता है। यह देखा जा सकता है कि एसआई/एनएसीएच निष्पादन के लिए लागू राशि की गणना उन क्रेडिट (ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान, मर्चेंट द्वारा धनवापसी, रिवार्ड रिडेम्पशन क्रेडिट/कैश बैक,

चार्ज रिवर्सल, आदि अगर कोई हो) और डेबिट (भुगतान रिवर्सल) के बाद की गई है जिन्हें भुगतान देय तारीख से पहले एक कार्य दिवस तक अंतिम स्टेटमेंट/बिल में प्राप्त किया गया है।

ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान एसआई निष्पादन की राशि तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- अगर कुल देय राशि और कुल क्रेडिट/डेबिट (जिसमें भुगतान शामिल हैं) कुल देय राशि के बराबर या कम है, तो एसआई/एनएसीएच का निष्पादन एमएडी और प्राप्त राशि के कुल अंतर के लिए तब किया जाएगा जब अंतर इतने रुपये से अधिक हो शून्य।

एनएसीएच/एसआई द्वारा भुगतान की स्थिति में, अगर भुगतान की देय तारीख छुट्टी का दिन है, तो एनएसीएच/एसआई पिछले कार्य दिवस पर लागू किया जाएगा। भुगतान की देय तारीख तक धन की वसूली सुनिश्चित करने के लिए, चेक के माध्यम से भुगतान कम से कम 3 दिन पहले किया जाना चाहिए।

अगर भुगतान निर्देश (एनएसीएच/एसआई) एमएडी के लिए है, तो-

भुगतान निर्देश का प्रकार	परिदृश्य	टीएडी	एमएडी	ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान	एसआई/एनएसीएच निष्पादन
एमएडी	A	2,000	200	0 (कोई भुगतान नहीं)	200
एमएडी	B	2,000	200	100 (भुगतान < एमएडी)	100
एमएडी	C	2,000	200	200 (भुगतान < एमएडी)	0

एमएडी	D	2,000	200	400	0
एमएडी	E	2,000	200	1,600	0
एमएडी	F	2,000	200	1,900	0
एमएडी	G	2,000	200	>=2,000	0

अगर भुगतान निर्देश (एनएसीएच/एसआई) टीएडी के लिए है, तो-

भुगतान निर्देश का प्रकार	परिदृश्य	टीएडी	एमएडी	ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान	एसआई/ईसीएस निष्पादन राशि
टीएडी	A	2,000	200	0 (कोई भुगतान नहीं)	2,000
टीएडी	B	2,000	200	500 (भुगतान < एमएडी)	1,500
टीएडी	C	2,000	200	1,500 (भुगतान < एमएडी)	500
टीएडी	D	2,000	200	>=2,000	0

कृपया ध्यान दें: अगर कार्ड धारक की स्थिति अनिवासी भारतीय (एनआरआई) है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके क्रेडिट कार्ड खाते के लिए सभी भुगतान उसके अनिवासी बैंकिंग खाते से किए जा रहे हैं। किसी अन्य माध्यम से भुगतान को आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और आरबीएल बैंक के पास बिना किसी सूचना के कार्ड को तुरंत ब्लॉक या बंद करने का अधिकार है।

(iv) बिलिंग के विवाद का समाधान

अगर स्टेटमेंट में बताए गए प्रभारों पर कार्ड धारक असहमति व्यक्त करता है, तो इस बारे में आरबीएल बैंक को स्टेटमेंट जारी होने के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में बताया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर यह माना जा सकता है कि स्टेटमेंट में बताए गए सभी प्रभार क्रम में हैं। कार्ड धारक हमारी वेबसाइट (https://rblbank.com/download-forms/-credit-cards पर उपलब्ध हस्ताक्षरित विवाद फॉर्म आरबीएल बैंक के पास ईमेल कर सकता है या डाक द्वारा भेज सकता है)।

अगर ऊपर बताई गई विसंगतियां देखने पर एक नज़र में बैंक द्वारा वैध पाई जाती हैं, तो बैंक अस्थायी रूप से प्रभार को तब तक रिवर्स कर सकता है जब तक बैंक द्वारा उसकी पूर्ण और अंतिम संतुष्टि के लिए बाद की जांच पूरी नहीं हो जाती। अगर बैंक द्वारा की गई उक्त जांच से पता चलता है कि ऐसे (विसंगतियां) प्रभारों की देयता उक्त कार्ड धारक (सदस्यों) पर है, तो प्रभार को बाद के स्टेटमेंट में बहाल कर दिया जाएगा और शुल्क/प्रभार का दावा यहां ऊपर बताए गए प्रभारों के अनुसार बैंक द्वारा किया जाएगा। यहां बताए गए प्रावधानों के बावजूद, बैंक द्वारा की गई जांच के परिणाम के बारे में उक्त कार्ड धारक को बताने के लिए बैंक 60 दिनों की अवधि से अधिक समय नहीं लेगा।

"धोखाधड़ी" के रूप में विवादित लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और विवाद का समाधान होने तक बैंक क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्टिंग निलंबित कर देगा।

शिकायत निवारण प्रक्रिया

कार्ड धारक किसी भी पूछताछ और/या समस्याओं के निवारण के लिए नीचे दिए गए किसी भी संचार माध्यम से बैंक से संपर्क कर सकता है।

स्तर- I:

आप हमें हमारे ग्राहक सेवा नंबर **022-6232 7777** पर कॉल कर सकते हैं या हमें **cardservices@rblbank.com** पर ईमेल कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व आरबीएल बैंक सुपरकार्ड के लिए **022-7119 0900** पर कॉल करें या हमें **supercardservice@rblbank.com** पर ईमेल करें।

या आप हमें अपने कार्ड नंबर विवरण के साथ इस पर संदेश भेज सकते हैं: कार्ड सेवाएं, आरबीएल बैंक लिमिटेड, यूनिट 306-311, तीसरी मंजिल, जेएमडी मेगापोलिस, सोहना रोड, सेक्टर - 48, गुड़गांव, हरियाणा - 122018।

आपकी समस्या की प्रकृति और समाधान और संचार के लिए आवश्यक समय के आधार पर, हम आपका पत्र या ईमेल प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर आपको जवाब देंगे । अपनी समस्याओं को दूर करने में हमारी सहायता के लिए, कृपया हमारे लिए संदेश लिखते समय नीचे दिए गए विवरण शामिल करें।

1. आपका पूरा नाम
2. आपका संपर्क विवरण (पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल)

कृपया अपनी खाता संख्या / क्रेडिट कार्ड संख्या के साथ अपनी पिछली बातचीत में आपको दी गई संदर्भ संख्या का उल्लेख करें, ताकि आपकी समस्या को समझने और उसका समाधान करने में हमें सहायता मिल सके।

स्तर- II:

अगर आप उपलब्ध कराए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप **headcardservice@rblbank.com** पर ईमेल कर सकते हैं। अपना कार्ड नंबर और स्तर 1 में दी गई सन्दर्भ संख्या डालें। 10 दिनों में जवाब दिया जाएगा।

आप इस पर हेड क्रेडिट कार्ड सेवाओं को पत्र भेज सकते हैं - हेड – कार्ड सेवा, आरबीएल बैंक लिमिटेड, कार्ड ऑपरेटिंग सेंटर – सीओसी, जेएमडी मेगापोलिस, यूनिट नंबर 306-311, तीसरी मंजिल, सोहना रोड, सेक्टर 48, गुड़गांव, हरियाणा - 122018

स्तर-III:

अगर आप दिए गए समाधान से अभी भी संतुष्ट नहीं हैं या अगर आपको 10 दिनों में कोई जवाब नहीं मिला है, तो आप श्री विकास निगम, प्रधान नोडल अधिकारी से निम्नलिखित पर संपर्क कर सकते हैं-:

प्राप्तकर्ता,

प्रधान नोडल अधिकारी, आरबीएल बैंक - श्री विकास निगम - 022-71432700 पर कॉल करें- डाक पताः आरबीएल बैंक जेएमडी मेगापोलिस, यूनिट नंबर 306-11, तीसरी मंजिल, सोहना

रोड, सेक्टर 48, गुड़गांव, हरियाणा –122018, principalnodalofficer@rblbank. com

हमारे प्रधान नोडल अधिकारी 10 दिनों में आपकी संतुष्टि के अनुसार समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर शिकायत की जांच के लिए अधिक समय चाहिए, तो जवाब देने के लिए अधिक समय की आवश्यकता बताकर शिकायत को स्वीकार किया जाएगा।

स्तर- IV:

अगर प्रधान नोडल अधिकारी के जवाब से आपकी शिकायत हल नहीं हो पाती है या अगर आपको 10 दिनों में प्रधान नोडल अधिकारी से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आप रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल को संदेश भेज सकते हैं।

रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया rblbank.com/banking-ombudsman पर जाएं।

आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड की ग्राहक मुआवजा नीति rblbank.com/pdf-pages/bank-policies पर देखी जा सकती है।

(D) डिफ़ॉल्ट और परिस्थितियां

(i) कार्ड धारक को डिफ़ॉल्टर के रूप में रिपोर्ट करने के लिए नोटिस अवधि सहित प्रक्रिया

डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, कार्ड धारक को इनमें से किसी भी एक माध्यम का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड खाते पर किसी भी बकाया राशि के निपटान के लिए समय-समय पर रिमाइंडर भेजा जाएगा: डाक, टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस संदेश द्वारा और/या याद दिलाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने और बकाया जमा करने के लिए शामिल तीसरे पक्ष द्वारा। इसके लिए नियुक्त कोई भी तीसरा पक्ष, समय-समय पर लागू ऋण वसूली पर आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करेगा। इनमें से एक या एक से अधिक स्थिति को डिफ़ॉल्ट की स्थिति माना जाएगा और आरबीएल बैंक अपने स्व-विवेक से क्रेडिट कार्ड की

सुविधा वापस ले सकता है। डिफ़ॉल्ट की स्थितियां इसके तहत होती हैं:

a. कार्डधारक 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को देय किसी भी राशि का भुगतान करने में लगातार विफल रहता है;

b. कार्ड धारक, कार्ड सदस्य अनुबंध के अनुसार दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है;

c. बैंक को दिया गया कोई भी चेक और/या एनएसीएच/स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन किसी भी कारण से प्रस्तुतीकरण/दिए जाने पर नकद में नहीं बदला गया/उससे कार्य नहीं हुआ।

d. कार्ड धारक द्वारा किया गया कोई भी निरूपण गलत, झूठा या अधूरा साबित होता है जिसमें बैंक को सबूत के लिए भेजे गए गलत, अधूरे, और/या गलत धोखाधड़ी जानकारी वाले आय और/या पहचान पत्र/दस्तावेज, आदि शामिल हैं।.

(ii) डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट की वापसी के लिए प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर बकाया के निपटान के बाद डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट की वापसी होगी:

a. संबंधित डिफ़ॉल्टर ने बैंक के साथ अपनी संपूर्ण बकाया देय राशि को चुका दिया है या बैंक के साथ अपनी देय राशि का निपटान कर दिया है।

b. बैंक द्वारा या बैंक के खिलाफ बारे गए कानूनी मुकदमे में, बैंक के लिए अदालत का फैसला प्राप्त हुआ है, जिसमें बैंक को यह निर्देश दिया गया है कि वह डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट से कार्ड धारक को डी-लिस्ट करे। व्यक्तिगत समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक मामले में निर्णय लिए जाते हैं।

(iii) डिफ़ॉल्ट की स्थिति में वसूली प्रक्रिया:

डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत बैंक के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को विवाद को संदर्भित करके बैंक द्वारा राशि की वसूली की जा सकती है। मध्यस्थता का निर्वाचन-क्षेत्र दिल्ली, भारत होगा।

मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। कोई वार्षिक शुल्क और/या अन्य प्रभार समानुपातिक आधार पर वापस नहीं किए जाएंगे।

(iv) कार्ड सदस्य की मृत्यु/स्थायी अक्षमता की स्थिति में बकाया राशि की वसूली:

कार्ड सदस्य की मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में, बैंक कार्ड सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारी से देय राशि की वसूली करने का प्रयास करेगा और खाते की बकाया राशि का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटान करेगा।

(v) कार्ड धारक के लिए उपलब्ध बीमा कवर और एक्टिवेशन पॉलिसी की तारीख:

क्रेडिट कार्ड में कार्ड धारक/ग्राहक के लिए बीमा पॉलिसी उपलब्ध है जिसका उल्लेख कार्ड धारक अनुबंध के नियमों और शर्तों में किया गया है। यह पॉलिसी बैंक को नुकसान की सूचना देने से पहले 1 दिन के भीतर और बैंक को नुकसान की रिपोर्ट करने के 7 दिनों के बाद होने वाली किसी भी हानि को कवर करती है। दावे के बारे में बैंक को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए।

(E) कार्ड सदस्यता की समाप्ति / खंडन / समर्पण

(i) कार्ड धारक द्वारा कार्ड समर्पण की प्रक्रिया

(a) कार्ड धारक सभी क्रेडिट कार्ड (कार्ड) के मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आधा हिस्से में तिरछे काटकर और उन्हें बैंक को वापस करके किसी भी समय कार्ड खाते को बंद करने का विकल्प चुन सकता है, इसके लिए लिखित अनुरोध देना होगा या बैंक के 24 घंटे ग्राहक सेवा हेल्पलाइन पर कॉल करके यह अनुरोध करना होगा क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाओं और लाभों को समाप्त किया जाए। मुख्य कार्ड धारक लिखित में बैंक को सूचित करके अतिरिक्त कार्ड के उपयोग को रद्द कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद, मुख्य कार्ड धारक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड के उपयोग से लिए जाने वाले सभी प्रभारों के लिए उत्तरदायी होगा।

कोई वार्षिक शुल्क और/या अन्य प्रभार समानुपातिक आधार पर वापस नहीं किए जाएंगे।

(ii) आरबीएल बैंक द्वारा समाप्ति / खंडन

a. बैंक अपने स्व-विवेक से कभी भी क्रेडिट कार्ड सुविधा को तुरंत समाप्त कर सकता है या बिना वजह या कारण बताए और बिना किसी सूचना के उपयोग को कभी भी प्रतिबंधित कर सकता है। जहां क्रेडिट कार्ड सुविधा को बैंक समाप्त करता है, वहां कार्ड खाते पर बकाया सभी राशियां (अभी तक डेबिट नहीं की गई प्रभारों या नकद अग्रिम सहित) तुरंत देय और भुगतान करने योग्य हो जाएंगे। बैंक रद्द किए गए क्रेडिट कार्ड के बारे में सभी प्रतिष्ठानों (जहां क्रेडिट कार्ड मान्य/स्वीकृत है) को सूचित कर सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड रद्द कर दिया जाता है, तो कार्ड धारक को इसके आधे हिस्से को तिरछे काटकर और दोनों हिस्सों को तुरंत बैंक को वापस करना होगा। कोई वार्षिक शुल्क या अन्य प्रभार समानुपातिक आधार पर वापस नहीं किए जाएंगे।

b. अगर कार्ड धारक अपना रोजगार, पेशा या पता बदलता है, या अपने वर्तमान पोस्टिंग स्थान से स्थानांतरित करता है, या अपना वेतन खाता/मुख्य बैंक खाता आदि (जो भी स्थिति हो) बदलता है, तो बैंक को अपने स्व-विवेक से क्रेडिट कार्ड की सुविधा बंद करने का अधिकार होगा। कार्ड धारक विशेष रूप से यह स्वीकार करता है कि क्रेडिट कार्ड खाता रद्द होने/बंद किए जाने पर, क्रेडिट कार्ड के विशेषाधिकार (सभी लाभों और सेवाओं सहित) वापस ले लिए जाएंगे, और ऐसे विशेषाधिकार अपने-आप वापस नहीं मिलेंगे तथा यह पूरी तरह से बैंक के स्व-विवेक पर होगा। क्रेडिट कार्ड रद्द करने पर (किसी भी कारण से), कार्ड धारक:

• क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा, उसे कार्ड को आधे हिस्से से तिरछे में काटकर बैंक को वापस कर देना चाहिए

कार्ड के किसी भी उपयोग के लिए जिम्मेदार है

इसमें शुल्कों का भुगतान तब तक शामिल है जब तक कार्ड को तिरछे आधे हिस्से में काटकर बैंक को वापस न लौटा दिया जाए।

• क्रेडिट कार्ड के उपयोग की शर्तों के अनुसार बैंक को भुगतान करना जारी रखा जाना चाहिए।.

c. अगर कार्ड धारक के क्रेडिट कार्ड का कभी भी उपयोग नहीं किया गया है या 90 दिनों से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो बैंक इसके लाभ वापस ले सकता है।

d. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, लंबी अवधि तक निष्क्रियता के कारण कार्ड बंद हो जाता है और 1 वर्ष की अवधि तक क्रेडिट कार्ड का उपयोग न करने पर क्रेडिट कार्ड स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। 1 वर्ष से अधिक की निष्क्रियता की स्थिति में, बैंक 30 दिनों की नोटिस अवधि के अंत में कार्ड को स्थायी रूप से बंद करने से पहले जवाब देने के लिए 30 दिनों का नोटिस भेजेगा।

(F) कार्ड का खोना / चोरी होना / दुरुपयोग होना

(i) कार्ड खोने/चोरी होने/दुरुपयोग होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - कार्ड जारीकर्ता को सूचना देने के माध्यम।

अगर क्रेडिट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, प्राप्त नहीं होता है, आरबीएल बैंक या किसी अन्य बैंक के एटीएम में फंस जाता है, या कार्ड धारक की संबंधित अनुमति के बिना उसका उपयोग किया जाता है, तो कार्ड धारक को 24 घंटे टोल फ्री नंबर पर ग्राहक सेवा को कॉल करके तुरंत आरबीएल बैंक को इसकी जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा, खोने, चोरी होने या दुरुपयोग की स्थिति में, कार्ड धारक को पुलिस शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करनी होगी जिसकी एक प्रति नकल बैंक को भेजी जानी चाहिए।

(ii) ऊपर दी गई स्थिति में कार्ड सदस्य की देयता

a. बैंक को सूचना/संचार से पहले क्रेडिट कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग से होने वाले कार्ड धारक की देयता बैंक को सूचना/संचार तक लगाए गए सभी प्रभारों के लिए होगी और बैंक द्वारा सूचना प्राप्त करने के बाद ही "शून्य" होगी।.

b. कार्ड धारक किसी भी विवादित लेनदेन की किसी भी जांच की स्थिति में बैंक, बैंक के प्रतिनिधियों और/या कानूनी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगा।

c. अगर कार्ड धारक बाद में क्रेडिट कार्ड (चोरी की सूचना देने के बाद) बरामद कर लेता है, तो बरामद क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और आधे हिस्से से काटकर तुरंत बैंक को वापस किया जाना चाहिए।

(G) प्रकटीकरण

आरबीएल बैंक कार्ड धारक के पुनर्भुगतान इतिहास आदि के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य एजेंसियों को देगा। आरबीएल बैंक के पास दिए गए संबंधित आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों के साथ-साथ फोटो रखने का अधिकार है, और उसे वापस नहीं करेगा।

a. कार्ड धारक एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से बैंक को समय-समय पर लागू प्रकटीकरण मानदंडों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक, आयकर अधिकारियों, न्यायाधिकरणों, न्यायालयों, न्यायिक निकायों, अन्य बैंकों, क्रेडिट ब्यूरो, वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य तीसरे पक्ष के साथ इस अनुबंध और/या किसी अन्य अनुबंध सहित कार्ड धारक से संबंधित सभी/किसी भी जानकारी या दस्तावेजों के प्रकटीकरण, या कार्ड धारक द्वारा प्रतिबद्ध डिफ़ॉल्ट के प्रकटीकरण के लिए क्रेडिट सत्यापन या संदर्भ जांच या अपने हितों की सुरक्षा के प्रयोजनों से अधिकृत करता है।

b. कार्ड धारक एतदद्वारा सहमत है कि केवल कार्ड धारक द्वारा प्रदान की गई स्पष्ट सहमति की स्थिति में ही, क्रेडिट कार्ड आवेदन फॉर्म में या किसी भी तरह से कार्ड धारक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का उपयोग बैंक द्वारा कार्ड से संबंधित ऑफर बेचने हेतु मार्केटिंग प्रयोजनों से समय-समय पर किया जा सकता है, जिसमें बैलेंस ट्रांसफर, ईएमआई ऑफर, नकद से संबंधित ऑफर, बीमा उत्पाद आदि शामिल हैं। इसके अलावा, लागू प्रकटीकरण मानदंडों के अनुरूप बैंक इस जानकारी का उपयोग समय-समय पर बैंक के अन्य उत्पादों की मार्केटिंग के लिए कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्ड धारक को असुविधा न हो, बैंक एक "कॉल न करें" रजिस्टर बनाए रखता है और अगर कार्ड धारक किसी मार्केटिंग ऑफर के लिए कॉल नहीं पाना चाहते हैं, तो वे ऐसे रजिस्टर में अपने उक्त फोन नंबर को शामिल करवाने के लिए 24 घंटे बैंक को फोन पर बता सकते हैं या supercardservice@rblbank.com पर ईमेल भेज सकते हैं। अपने संबंधित संपर्क विवरण को अलग रखने के लिए बैंक की वेबसाइट पर भी रजिस्टर करें।

c. अगर बैंक को प्रतिकूल रिपोर्ट (कार्ड धारक की क्रेडिट योग्यता या इस तरह के प्रभाव से संबंधित) प्राप्त होती है, तो बैंक क्रेडिट कार्ड को रद्द कर सकता है जिसमें संपूर्ण बकाया राशि के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड के उपयोग द्वारा और स्टेटमेंट में अभी तक बिल नहीं किया गया कोई भी अतिरिक्त प्रभार/शुल्क तुरंत देय हो जाएगा और उसका भुगतान उक्त उक्त कार्ड धारक को करना होगा।

d. कार्ड धारक बैंक को कार्ड धारक से संबंधित जानकारी तीसरे पक्ष के साथ साझा करने के लिए अधिकृत करता है, ताकि बैंक उन लाभों या कार्यक्रमों को प्रशासित करने, उनके लिए सेवा देने और उनका प्रबंधन करने में सक्षम हो सके जिसके लिए कार्ड धारक को नामांकित किया गया है।

e. इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, कार्ड धारक बैंक को कार्ड धारक के बारे में सभी जानकारी या दस्तावेज़ देने के लिए अधिकृत करता है जिसमें इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए यह अनुबंध और/या कार्डधारक और बैंक के बीच किसी भी अन्य अनुबंध, लेनदेन या डील शामिल हैं: a) यह मुख्य कार्यालय है या बैंक की किसी अन्य शाखा, सहायक कंपनी या संबंधित या संबद्ध कंपनियों के लिए है; b) बैंक के पेशेवर सलाहकार; c) बैंक या उसके किसी भी व्यवसाय, अधिकार, संपत्ति या दायित्व का कोई संभावित या वास्तविक खरीदार/असाइनी; या d) किसी अन्य व्यक्ति को जहां प्रकटीकरण कानून द्वारा आवश्यक है।

f. क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सिबिल) भारतीय वित्तीय प्रणाली की कार्यक्षमता और स्थिरता में सुधार के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक पहल है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के लिए प्रभावी तंत्र देने के आरबीआई के प्रयासों के अनुरूप है जिससे ग्राहक विभिन्न संस्थानों से बेहतर क्रेडिट शर्तों का लाभ उठा सकें।

g. इस पहल में भाग लेने वाले सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए सिबिल और अन्य क्रेडिट सूचना ब्यूरो के साथ ग्राहक डेटा साझा करना आवश्यक है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक, कार्ड धारक/ऐड ऑन कार्ड धारक के खाते से संबंधित डेटा की रिपोर्ट सिबिल और अन्य क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को करेगा।

h. कार्ड धारक यह स्वीकार करते हैं कि व्यापार प्रक्रियाओं और लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी मौजूदा या भविष्य के क्रेडिट ब्यूरो के साथ कार्ड धारक की जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत है। भारतीय वित्तीय प्रणाली, और ऐसी अन्य संस्थाओं की कार्यक्षमता और स्थिरता में सुधार करने के लिए, उक्त जानकारी को सिबिल या सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित/सूचित किसी अन्य क्रेडिट सूचना ब्यूरो के साथ साझा किया जा सकता है।

i. अगर सूचित कार्ड धारक बाद में बैंक की संतुष्टि के लिए बैंक के साथ सभी बकाया राशि का निपटान या भुगतान करता है, तो बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि बदलाव को दिखाने के लिए उक्त कार्ड धारक के अपडेट किए गए विवरण सिबिल या ऐसे अन्य क्रेडिट सूचना ब्यूरो को प्रदान किया जाए।

j. मैं आरबीएल बैंक को केवाईसी जानकारी के सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण, या आरबीएल बैंक द्वारा सही माने जा सकने वाले अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए यूआईडीएआई से प्राप्त केवाईसी के रूप में किसी भी या सभी जानकारी / बीएफएल / क्रेडिट ब्यूरो / वैधानिक निकायों / सहायक कंपनियों / संबद्धताओं / क्रेडिट ब्यूरो / रेटिंग एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, सरकारी/नियामक प्राधिकरण या तीसरे पक्ष के साथ आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी को साझा करने और प्रकट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं और सहमति देता/देती हूं। अगर कार्ड धारक किसी वित्तीय सहायता/ सुविधाओं/ वित्तीय/क्रेडिट सुविधा या उस पर देय ब्याज/प्रभार के मूलधन के भुगतान या पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो आरबीएल बैंक और / या आरबीआई के पास डिफॉल्ट का विवरण और कार्ड धारक/ या उसके

निदेशकों/ साझेदारों/ ऐड-ऑन कार्ड धारकों का नाम, जैसा लागू हो, ऐसे तरीके और ऐसे माध्यम से डिफ़ॉल्टर के रूप में प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूरा अधिकार होगा जिसे आरबीएल बैंक या आरबीआई अपने पूर्ण विवेक से उचित समझता है। आरबीएल बैंक, क्रेडिट सूचना ब्यूरो को क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के संदर्भ में क्रेडिट इतिहास/पुनर्भुगतान रिकॉर्ड और/या कार्ड धारक की पिछली देय स्थिति से संबंधित जानकारी की सूचना देगा। क्रेडिट कार्ड के आवेदन की स्वीकृति कार्ड धारक की क्रेडिट योग्यता की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होने पर आधारित है। आरबीएल बैंक कार्ड खाते में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कार्ड अथवा किसी अन्य माध्यम से कार्ड धारक की क्रेडिट सुविधा को वापस लेने की सूचना अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को दे सकता है। प्रतिकूल रिपोर्ट (कार्ड धारक या उसके परिवार के सदस्यों की क्रेडिट योग्यता से संबंधित) की प्राप्ति के आधार पर, आरबीएल बैंक लिखित में 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर क्रेडिट कार्ड को रद्द कर सकता है जिससे कार्ड खाते में संपूर्ण बकाया राशि के साथ-साथ कार्ड के उपयोग से होने वाले किसी भी अन्य प्रभार और अभी तक कार्ड खाते में बिल नहीं किए गए प्रभार का भुगतान कार्ड धारक को तुरंत करना होगा। आरबीएल बैंक, कार्डधारक को उस बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगा जहां से उसे यह रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, या जिससे जानकारी का प्रकटीकरण किया है।

k. तीन दिनों से अधिक समय तक क्रेडिट कार्ड खाते के "पहले से देय" रहने पर ही, बैंक क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 'पहले से देय' के रूप में क्रेडिट कार्ड खाते की रिपोर्ट करेगा। 'पहले से देय के दिनों' की संख्या की गणना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दी गई भुगतान की देय तिथि से की जाती है।
क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) के पास क्रेडिट कार्डधारक को दोषी के रूप में रिपोर्ट करने से पहले, बैंक सीआईसी के पास ऐसे कार्डधारक को डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट करने के इरादे के बारे में सात दिन की नोटिस अवधि जारी करेगा। अगर ग्राहक डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद अपने बकाया का भुगतान करता है, तो बैंक बकाया के निपटान की तारीख से एक महीने में स्थिति को अपडेट कर देगा।

(H) कार्ड सुरक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आदेश के अनुसार, सभी नए जारी किए गए, फिर से जारी किए गए और नवीनीकृत क्रेडिट कार्ड को सुरक्षा उपाय के रूप में सभी लेनदेन के लिए निष्क्रिय स्थिति में भेजा जाता है, इसमें डोमेस्टिक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) और एटीएम लेनदेन शामिल नहीं हैं। कार्डधारक को आवश्यक परिवर्तन करने के लिए www.rblbank.com पर जाने की सलाह दी जाती है।

कार्ड धारक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिन कार्ड का उपयोग 18 महीने या उससे अधिक समय तक ऑनलाइन/अंतर्राष्ट्रीय/संपर्करहित लेनदेन के लिए नहीं किया गया है, वे उस विशिष्ट श्रेणी के लिए अपने-आप अक्षम हो जाएंगे। अगर कार्ड धारक ऐसी किसी भी श्रेणी में उपयोग के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करना चाहता है जिसे निष्क्रियता के कारण बंद किया गया है, तो कार्ड धारक को आवश्यक बदलाव करने के लिए www.rblbank.com पर जाने की सलाह दी जाती है।

(I) विशेष उल्लेख के रूप में वर्गीकरण खाते (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और उन्नयन

अगर किसी ऋण/क्रेडिट कार्ड खाते की देय तिथि 22 जनवरी, 2019 है और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के दिन के अंत तक प्रसंस्करण शुरू करने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय तिथि 22 जनवरी, 2019 होगी और खाते को एसएमए-0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

अगर अगले दिन (23 जनवरी, 2019) या किसी भविष्य की अन्य तिथि को पूर्ण अतिदेय राशि (शुल्कों सहित, अगर कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाता है, तो उस दिन के अंत तक खाते में डीपीडी शून्य हो जाएगा और खाते को नियमित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

अगर खाता अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 23 मार्च, 2019 को दिन के अंत तक यानी लगातार अतिदेय होने के 60 दिन पूरे होने पर प्रसंस्करण शुरू होने के बाद एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा।

अगर खाता आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 22 अप्रैल, 2019 को दिन के अंत तक प्रसंस्करण शुरू होने के बाद एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

संपत्ति वर्गीकरण (यानी एनपीए श्रेणी) को उधारकर्ता स्तर (यानी बैंक के साथ सभी संबंध) पर वर्गीकृत किया जाएगा।

एनपीए की स्थिति में, बैंक के सभी संबंधों में संपूर्ण अतिदेय का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए और अगर किसी भी तिथि को उधारकर्ता स्तर पर अतिदेय राशि शून्य है, तो संपूर्ण संबंध को उन्नयन के लिए माना जाएगा।

अस्वीकरण:

*आरबीएल बैंक अपने ऐक स्व-विवेक से बाहरी सेवा प्रदाताओं या एजेंटों की सेवाओं और अपने उत्पादों के संबंध में आवश्यकता या अनिवार्यता के अनुसार ऐसी शर्तों का उपयोग कर सकता है।

RBL_CC/MITC/28/02/2024

www.rblbank.com

आरबीएल बैंक लिमिटेड
कार्ड संचालन केंद्र: यूनिट 306-311, तीसरी मंजिल, जेएमडी मेगापोलिस, सोहना रोड, सेक्टर - 48, गुड़गांव - 122 018, हरियाणा।.
सीआईएन: L65191PN1943PLC007308